

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 752]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 सितम्बर 2025 — अश्विन 3, शक 1947

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 सितम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक/5320/आर-3345/2021/22-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में —

1. अनुसूची-एक में, सरल क्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाये, अर्थात्:-

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
“8.	वरिष्ठ निज सहायक	03	द्वितीय श्रेणी	लेवल-10	4400	पद संख्या— (1) विकास आयुक्त कार्यालय— 01 (2) प्रधानमंत्री आवास योजना—01 (3) छ.ग.ग्रा.सड़क विकास अभिकरण— 01

2. अनुसूची-दो में, सरल क्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाये, अर्थात्:-

स.क.	पद/सेवा का नाम	कर्त्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से सदस्यों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा	टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"8.	वरिष्ठ निज सहायक	03	—	100%	—	—"

3. अनुसूची चार में, सरल क्रमांक 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाये, अर्थात:-

स.क.	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	कॉलम-4 के पद पर पदोन्नति के लिए कॉलम-2 के पद पर न्यूनतम सेवा अवधि	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	चयन की विधि	विभागीय पदोन्नति समिति सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"6.	निज सहायक	05 वर्ष	वरिष्ठ निज सहायक	—तदैव—	—तदैव—"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक चौब, अपर सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 25th September 2025

NOTIFICATION

No. 5320 R-3345/2021/22-1.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh here by, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Panchayat and Rural Development (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2013, namely:-

AMENDMENT

In Schedules of the said rules –

- 1- In Schedule-1, after serial number 7 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"8	Senior Personal Assistant	03	Class-II	Level-10	4400	(1) Office of Development Commissioner -01post (2) For Pradhan Mantri Awas Yojna- 01 post (3) For Chhattisgarh Rural Roda Development Agency-01 post."

- 2- In Schedule-II, after Serial number 7 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"8	Senior Personal Assistant	03	-	100%	-	-"

3- In schedule-IV, after serial number 5 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"6	Personal Assistant	05 years	Senior Personal Assistant	-do-	-do-"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ASHOK CHOUBEY, Additional Secretary.